



## सराहनीय कार्य जनपद सम्भल पुलिस ।

दिनांक – 16.09.2024

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद सम्भल श्री कृष्ण कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद सम्भल में दिनांक 16.09.2024 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियान में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी ।

गौवध करने के उपकरण व एक रास गौवंशीय पशु के साथ 05 अभियुक्त गिरफ्तार थाना असमोली-  
दिनांक 15.09.2024 को थाना असमोली पुलिस टीम द्वारा दौराने गस्त/चैकिंग एवं मुखबिर की सूचना पर 04 अभियुक्त 1.छोटे उर्फ लल्ला, 2.आबिद, 3.जरार, 4.जैनुलाबुद्दीन उर्फ लल्ला को ग्राम बेला निवासी मनवीर पुत्र मोहन निवासी के गन्ने के खेत के पास गन्ने के खेत से मय गौवध करने के उपकरण मय एक रास गौवंशीय पशु बछड़ा के साथ गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 16.09.2024 को 01 अभियुक्त नईम कुरैशी को खासपुर तिराहे के पास बने यात्री सैड से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना असमोली पर मु0अ0सं0 250/2024 धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 111(2)(ii) बीएनएस पंजीकृत किया गया । अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा दिनांक 31.08.2024 को महन्त बैकुंठ धाम सिद्ध बाबा बागेश्वर धाम ग्राम हरथला से एक रास बछड़ा चोरी किया गया था । जिसके सम्बन्ध में थाना असमोली पर मु0अ0सं0 240/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता –

- 1.छोटे उर्फ लल्ला पुत्र अनवार निवासी ग्राम सफातनगर थाना असमोली जनपद सम्भल ।
- 2.आबिद पुत्र शाकीर कुरैशी निवासी ग्राम राजा गालबपुर थाना असमोली जनपद सम्भल ।
- 3.जरार पुत्र अनवार निवासी ग्राम सफातनगर थाना असमोली जनपद सम्भल ।
- 4.जैनुलाबुद्दीन उर्फ लल्ला पुत्र अकबर निवासी ग्राम नया गांव बेला थाना असमोली जनपद सम्भल ।
5. नईम कुरैशी पुत्र कलुआ निवासी ग्राम राजा गालबपुर थाना असमोली जनपद सम्भल ।

### अभियुक्तगण की गिरफ्तारी का स्थान:-

1. अभियुक्त छोटे उर्फ लल्ला, आबिद, जरार, जैनुलाबुद्दीन उपरोक्त को मनवीर को खेत के सामने गन्ने के खेत से गिरफ्तार किया गया ।

2.अभियुक्त नईम कुरैशी उपरोक्त को खासपुर तिराहे के पास बने यात्री सैड से ।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त जैनुलाबुद्दीन उर्फ लल्ला उपरोक्त -

- 1.मु0अ0सं0 560/2023 धारा 307/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना डिडोली जनपद अमरोहा ।
- 2.मु0अ0सं0 167/2023 धारा 120बी/395/412/413 भादवि थाना चन्दौसी जनपद सम्भल ।
- 3.मु0अ0सं0 693/2023 धारा 120बी/395/412/413 भादवि थाना चन्दौसी जनपद सम्भल ।
- 4.मु0अ0सं0 240/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना असमोली जनपद सम्भल ।
5. मु0अ0सं0 250/2024 धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 111(2)(ii) बी.एन.एस थाना असमोली जनपद सम्भल ।

## अभियुक्तगणों से बरामदगी का विवरण:-

1. अभियुक्तगण छोटे उर्फ लल्ला, आबिद, जर्जर, जैनुलाबुद्दीन उपरोक्त से गौवंशीय पशुओं के वध करने के उपकरण- 1. छुरी 03, 2. प्लास्टिक का कट्टा 01, 3. लकड़ी का गुटका 01, 4. प्लास्टिक की रस्सी 4, 5. एक टार्च, 6. एक रास बछड़ा (रंग काला सफेद धब्बेदार)।

## गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1- उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना असमोली जनपद सम्भल।
- 2- उ0नि0 श्री उपेन्द्र।
- 3- का0 394 रोबिन राठी।
- 4- का0 1273 सनोज कुमार।
- 5- का0 879 दिनेशपाल।
- 6- का0 367 पिकू कुमार।
- 7- का0 1275 भोलू तोमर।
- 8- का0 680 नितेन्द्र कुमार।



## 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार थाना जुनावई-

मु0नं0 208/07 धारा 323/504/324 भादवि में वारण्टी अभियुक्त शिवजी पुत्र सत्यराम निवासी ग्राम मैढौली थाना जुनावई जनपद सम्भल को उ0नि0 श्री रामविशेश सिंह द्वारा मय पुलिस टीम के ग्राम मैढौली से गिरफ्तार किया गया।

